

No. HQ/PIO/RTI/162/14

Date: 06.08.2014

Shri Pinkesh Kumar,

Advocate,
Chamber No. 195,
Civil Court,
Saharanpur.

Sub: Information under RTI Act - 2005

Ref: Your application dt. 05.07.2014, received on 08.07.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-


1. ग्राम साखन खुर्द तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर के खसरा सं. 550 क्षेत्रफल 0.1000 हे. का अधिग्रहण डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।
2. भूमि अधिग्रहण का रिकार्ड विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर के कार्यालय में उपलब्ध है, प्रमाणित प्रति वहां से प्राप्त की जा सकती है। अतः आरटीआई एक्ट के सेक्शन 6(3) के अंतर्गत आपके आवेदन को, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर को हस्तांतरण किया जा रहा है। आगे के पत्राचार के उनके संपर्क में रहें।
3. ग्राम साखन खुर्द के घोषित अभिनिर्णय के अनुसार जिन व्यक्तियों का भूमि अधिग्रहण किया गया उनकी सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	गाटा सं.	भूस्वामि का नाम
1	539	अमन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह
2	544	कृष्ण दत्त पुत्र सेवाराम
3	549	साधूराम पुत्र राजाराम
4	547	देवी दत्त पुत्र कबूल सिंह


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/ RTI

Copy to:

1. Spl. LAO, Collectorate, Saharanpur, U.P. - Attached please find herewith an application of Sh. Pinkesh Kumar, R/o Saharanpur (U.P.), alongwith reply, received from CPM/DFCCIL/Meerut's office, seeking information under RTI Act. After gone into the case, it is found that the information of item no.2 is closely connected with the working of your office. Therefore, the information as warranted has to be provided by your office, as such the application of sh. Pinkesh Kumar is transferred u/s 6(3) of RTI Act.
2. CPM/Meerut for information.


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/ RTI